ऋण आधारित योजनाए

हरित व्यवसाय योजना

प्रस्तावनाः

जलवायु परिवर्तन, जोकि विश्व का सबसे बडा खतरा बन चुका है, अनिंत्रित प्रदूषण का परिणाम है। मनुष्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण के स्तर को कम करने की आवश्यकता है जिसके लिए ऐसे व्यवसायों को बढावा देने की आवश्यकता है जोकि जलवायु परिवर्तन से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाले भी हों।

उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य ऐसी गतिविधयां, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाली भी हों, के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आय अर्जित करने वाली गतिविधयों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकें या अनुकूलन की पहल के अंर्तगत वर्गीकृत हों, को योजना के तहत कवर किया जाएगा।
पात्रता	सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित
सूचक योजनाएं	बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा), कम्प्रेस्ड एयर वाहन, सोलर उर्जा से संचलित यंत्र, पॉलीली हाउस इत्यादि
ऋण की सीमा	इकाई लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख तक)। यदि अनुदान उपलब्ध हो तो, ऋण की मात्रा अनुदान राशि तक कम की जा सकती है।
प्रमोटर अंश	योजना लागत का 10 प्रतिशत
ब्याज	एनएसकेएफडीसी से माध्यम अभिकरण : 2% p.a. एससीए से लाभार्थियों को : 4% p.a. * (महिला लाभार्थियों के संदर्भ में एनएसकेएफडीसी के शेयर से 1% छूट।)
पुर्नभुगतान	योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम 6 वर्षों के भीतर किया जाएगा जिसमें 6 महीने की अधिस्थगन अवधि सम्मिलित है।

सैनेट्री मार्ट योजना

सैनेट्री मार्ट स्वच्छता एवं सेनीटेशन की सभी वस्तुएँ के लिए एक विशेष दुकान है। यह ऐसा खरीदारी का स्थान है जहां आम आदमी अपनी स्वच्छता संबंधी आवशयक वस्तुओं को खरीद सकता है। यह बिक्री एवं सेवा केन्द्र दोनों कार्य करता है।

उद्देश्य	योजना के तहत वित्तीय सहायता व्यक्तिगत लाभार्थियों/विमुक्त मैनुअल स्कवेंजरों के स्व-सहायता समूहों/सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छकारों तथा उनके आश्रितों को दी जा सकती है।

ऋण की सीमा	परियोजना का 90 प्रतिशत अधिकतम रू.15.00 लाख तक
प्रमोटर अंश	सेनेट्री मार्ट की कुल लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
ब्याज	लाभार्थी द्वारा अधिकतम 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा (महिला लाभार्थियों के लिए 1 प्रतिशत एवं समय पर भुगतान करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट है)
पुर्नभुगतान	एनएसकेएफडीसी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान त्रैमासिक किश्तों में 10 वर्ष के भीतर होना चाहिए।

स्वच्छता उद्यमी योजना

"स्वच्छता उद्यमी योजना - स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर**"**

'स्वच्छता उद्यमी योजना' भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव एवं स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु है।
योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री सुदर्शन भगत जी द्वारा किया गया।
इस योजना के दो उददे्श्य जोकि स्वच्छता एवं सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त मैनअुल स्केंवेंजरों को जीवनयापन प्रदान करना एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरम्भ 'स्वच्छ भारत अभियान' के समग्र उद्देश्य को पूरा करना है।

मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	**विषय**	**"स्वच्छता उद्यमी योजना"**	
		भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव	**स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन**
1.	**उददे्श्य**	i) परिवारों को समुदाय शौचालयों की आसान पहुंच (जिनके पास अपने घरों में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है) और उच्च जनसंख्या के सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में। ii)सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें उद्यमियों द्वारा बनाया गया हो एवं इस उद्यम में जिनकी हिस्सेदारी हो।	i) कम उपयोग की गई क्षमता के दोहन हेतु उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण। ii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन । iii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन

		iii)जिससे मैला ढ़ोने की आवश्यकता नहीं रहेगी।	
2.	**पात्रता**	प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीएज) के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह ।	मैनुअल स्केंवेंजर/सफाई कर्मचारी
3.	**ऋण की मात्रा**	10 सीटों वाले शौचालय की एक इकाई की प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह को अधिकतम राशि रू.25 लाख (राशि रू.25 लाख रुपए केवल)।	एक व्यक्ति या स्व सहायता समूह को अधिकतम राशि रू. 25 लाख (पच्चीस लाख रूपये केवल)।
4.	**ब्याज दर**	i) 4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं। ii)महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट। iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5%की छूट दी जाएगी।	i) 4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं। ii) महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट। iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5% की छूट दी जाएगी।
5.	**भुगतान अवधि**	10 वर्ष तक	10 वर्ष तक
6.	**विलम्बकाल**	6 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।	3 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।
7.	**सब्सिडी**	अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।	अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो।

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारो एवं उनके आश्रितों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, आईटी/कम्प्यूटर्स में स्नातक अथवा उच्चतर स्तरों की व्यवसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा, सभी विषयवर्गों (अर्थात बी.ए., बी.एससी. एवं बी. कॉम इत्यादि) में स्नातक, सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों जिनकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष हो, फिजियोथैरैपी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, होटल प्रबंधन एवं पर्यटन, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन, जेरिएट्रिक केयर में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नाकोतर स्तर पर शैक्षिक/व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसेकि

बैचलर ऑफ़ एजुकेशन, पीएच.डी, भाषा पाठ्यक्रम, बीसीए एवं एमसीए इत्यादि (मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से) के अध्ययन हेतु ऋण प्रदान किया जा रहा है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत	एससीए	लाभार्थी
भारत में अध्ययन हेतु - रुपये 10.00 लाख तक विदेश में अध्ययन हेतु - रुपये 20.00 लाख तक	1% प्रति वर्ष	4% प्रति वर्ष
	महिला उम्मीदवारो को ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत छूट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत रु. 4.50 लाख प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले परिवारों के लिये शिक्षा ऋण पर पूरा ब्याज प्रतिपूर्ति योग्य है	

ऋण चुकाने की अवधिः एक वर्ष की स्थगन अवधि के साथ पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद 5 वर्ष।

सावधि ऋण

सावधि ऋण राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीए), राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से लक्षित समूह को प्रदान किए जाते हैं। सफाई संबंधी गतिविधियों सहित आय जनन की किसी भी व्यावहारिक योजना के लिए अधिकतम सीमा रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई है। रूपये 2.00 लाख तक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी का योगदान 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत अंश राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण, सब्सिडी और लाभार्थी योगदान, यदि कोई, तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतो के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत	एससीए	लाभार्थी को
रुपये 15.00 लाख तक	3% प्रति वर्ष	6% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि: ऋण प्रदान किए जाने की तिथि से ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि और 3 माह की कार्यान्वयन अवधि के पश्चात 10 वर्ष तक, जो यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और चुकाने की क्षमता पर निर्भर होगी।

महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)

इस योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छकार महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को एससीए के माध्यम से लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 100000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एमएवाई योजना के अधीन लाभार्थियों के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक एनएससकेएफडीसी ऋण घटक प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य चैनल अधिकरणों द्वारा ऋण, सब्सिडी तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत	**एससीए**	**लाभार्थी**
रुपये 1,00,000 तक	2% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि: ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि के पश्चात 5 वर्ष के भीतर करनी होगी।

सूक्ष्म लघु ऋण (एमसीएफ)

सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ) के अंतर्गत एससीए को लघु/छुटकर व्यापार/व्यवसाय एवं विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 50,000/- प्रति लाभार्थी तक की परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक समूह में, रूपये 50,000/- प्रति लाभार्थी के आधार पर रूपये 5.00 लाख की सीमा है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत	एससीए	लाभार्थी
रुपये 50,000 तक	2% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधिः ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।

महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)

महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत एससीए को 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 50,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छकारो महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर

अधिकतम इकाई लागत	एससीए	लाभार्थी
रुपये 60,000 तक	1% प्रति वर्ष	4% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधिः ऋण की अदायगी 3 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।

गैर ऋण आधारित योजनाए

जागरूकता शिविर

लक्षित समूह में एनएसकेएफडीसी की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जागरूकता लाने के लिए सीधे संपर्क हेतु एनएसकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों (एस.सी.एज.) के माध्यम से सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों की बस्तियों में जागरूकता शिविर लगाता है एवं उन्हें निगम की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे सफाई के अपने परम्परागत व्यवसाय को छोडकर अन्य सम्मानजनक आय अर्जित करने वाले व्यवसायों या स्वरोजगार गतिविधियों को अपना सकें।

जागरूकता शिविर की विशेष्ताएं इस प्रकार से हैं:-

- एनएसकेएफडीसी की अधिकारी राज्य माध्यम अभिकरणों के जिला अधिकारियों के साथ जागरूकता शिविर के आयोजन हेतु सक्रिय रूप से जुडे/शामिल रहते हैं।
- स्थानीय भाषा में इश्तेहार/पंफलेट वितरित करके, जिले के स्थानीय सामाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रचार किया जाता है।
- कायर्कम में भाग लेने वाले लक्षित समूह को एनएसकेएफडीसी का वृतचित्र दिखाया जाता है एवं निगम की योजनाओं की जानकारी एवं ऋण लेने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाती है।
- एस.सी.ए. एवं एनएसकेएफडीसी के अधिकारी उन्हें एनएसकेएफडीसी/एस.सी.ए. की येाजनाओं के तहत ऋण लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

- जागरूकता शिविर के दौरान एससीए द्वारा प्रतिभागियों से नाम, पता, योग्यता, अनुभव एवं योजना का चुनाव आदि जानकारी एकत्र करके इच्छुक लाभार्थियों से प्रारम्भिक ऋण आवेदन पत्र भरवाए जाते हैं।
- इस डाटा का प्रयोग एससीए द्वारा परियोजना प्रस्ताव के नियमन हेतु किया जाता है।
- इस योजना के तहत एनएससकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों को जागरूकता शिविर के आयोजन हेतु रू.30000/- प्रति जागरूकता शिविर का पुर्नभुगतान करता है।

मार्केटिंग लिंकेज / मेलों / प्रदर्शनियां / व्यापार मेलों

एनएससकेएफडीसी ने गो-कूप सोल्यूशन एवं सर्विसेज प्रा. लि. (गो-कूप) एवं क्लूस नेटवर्क प्रा. लि. (शॉपक्लूस) के साथ समझौता ज्ञापन किऐ हैं। गो-कूप एवं शॉपक्लूस सहकारी एवं सामुदायिक आधारित बुनकरों एवं शिल्पकारों के लिए अपने उत्पादों को सूचीगत करने एवं बिक्री हेतु आनलाईन बाजार है। समझौता ज्ञापन के अनुसार गो-कूप एवं शॉपक्लूस एनएससकेएफडीसी के लाभार्थियों को आनलाईन बाजार, प्रशिक्षण, डाटा एनालिटिक्स में आधारभूत ढांचा सहायता एवं उनके उत्पादों के लिए ग्राहक अधिग्रहण एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने एवं व्यवसाय को बढाने में सहायता प्रदान करेंगे। प्रदर्शनी का विवरण / व्यापार मेलों मे एनएससकेएफडीसी के लाभार्थियों ने भाग लिया: -

क्र.संख्या	**प्रदर्शनी का नाम**	**प्रदर्शनी की अवधि**	**प्रतिभागियों की संख्या**	**राज्यों ने भाग लिया**	**राज्यवार बिक्री (रु. में)**	**कुल बिक्री**
1	रामलीला मेला 2014	5.10.2014 से 12.10.2014	10	मध्य प्रदेश	1,57,900	1,57,900
2	6वीं पूर्वी हिमालय एक्सपो 2014 सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	7.12.2014 से 15.12.2014	2	मध्य प्रदेश	1,49,204	1,53,654
			9	उत्तर प्रदेश	4,450	
3	शिल्पोत्सव -2014 दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट, नई दिल्ली	1-10-2014 से 10-02-2015	2	हिमाचल प्रदेश	1,53,100	12,52,845
			3	जम्मू एवं कश्मीर	1,33,100	
			16	मध्य प्रदेश	7,41,970	
			3	उत्तर प्रदेश	1,49,250	
			2	बिहार	75,425	
4	34 वें आईआईटीएफ -2014 प्रदर्शनी प्रगति मैदान नई दिल्ली	4.11.2014 से 27.11.2014	2	जम्मू एवं कश्मीर	1,69,230	22,72,680
			2	हिमाचल प्रदेश	1,98,400	
			16	मध्य प्रदेश	16,78,430	

			3	उत्तर प्रदेश	2,26,620	
5	29 सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले-2014 फरीदाबाद (हरियाणा)	01.02.2015 से 15.02.2015	2	बिहार	1,78,292	27,61,324
			3	जम्मू एवं कश्मीर	4,50,975	
			2	हिमाचल प्रदेश	2,61,150	
			18	मध्य प्रदेश	18,70,907	
	कुल योग		95		65,98,403	65,98,403

कार्यशालाएं/रोजगार मेले

कार्यशालाएं:

राज्य माध्यम अभिकरणों (एस.सी.एज.) द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन उनके जिला अधिकारियों, जोकि मुख्यालय में एनएसकेएफडीसी के मामलों को देखते हैं, को एनएसकेएफडीसी की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की नवीन/अधतन जानकारी देने के लिए किया जाता है। एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रत्येक कार्यशाला के आयोजन हेतु रू. 25,000/- का पुर्नभुगतान राज्य माध्यम अभिकरणों को किया जाता है।

रोजगार मेले:

प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एनएसकेएफडीसी रू. 50,000/- तक की राशि का पुर्नभुगतान राज्य माध्यम अभिकरणों/प्रशिक्षण संस्थाओं को रोजगार मेलों के आयोजन हेतु करता ।